न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—20/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/20)

1. जगदीश पुत्र स्व0 छीतर
2. रामकुंवार पुत्र स्व0 छीतर
3. हनुमान पुत्र स्व0 छीतर
4. सत्यनारायण पुत्र स्व0 छीतर दत्तक पुत्र जगन्नाथ

समस्त जाति जाट, निवासी गंगातीकलां, तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र स्व0 भूरा
2. गोपाल पुत्र स्व0 भूरा
3. जगदीश पुत्र स्व0 भूरा
4. रामलाल पुत्र स्व0 भूरा
5. सोन्या उर्फ श्योनारायण पुत्र स्व0 भूरा

समस्त जाति जाट, निवासी पालूकलां, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

6. रूकमा पुत्री भूरा पत्नि घासी
7. प्रेमदेवी पुत्री भूरा पत्नि लालाराम

दोनों जाति जाट, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

8. संतोष पुत्री भूरा पत्नि रामसहाय
9. सोहन पुत्री भूरा पत्नि हरिनारायण

दोनों जाति जाट निवासी शंकरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

10. गिर्राज़ पुत्र रामेश्वर
11. कौशल्या देवी पुत्री रामेश्वर
12. ममता देवी पुत्री रामेश्वर
13. ललिता देवी पुत्री रामेश्वर
14. सुशीला पत्नि सोन्या उर्फ श्योनारायण
15. लाली देवी पत्नि जगदीश

समस्त जाति जाट, निवासी पालूकलां, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.12.2022 राजस्व वाद संख्या 07/2021.

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री ताराचंद कुर्डिया, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3, 6 से 9, 11 से 15.
3. श्री एन.के.जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10.
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 16.
5. रेस्पोडेंट संख्या 04 अनुपस्थित.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 06.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस के पूर्वज भूरा पुत्र श्री श्योनाथ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष वाद संख्या 78/2003 दिनांक 22.7.2003 को उदघोषणा खातेदारी हेतु प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को नोटिस जारी किए गए। उक्त नोटिस दिनांक 9.9.2003 को जारी किए गए जिन समस्त नोटिसों पर तामील कुनिन्दा श्री रोशन अली द्वारा इबारत अंकित की गइ कि घर पर मौजूद नहीं मिले और खुले मकान पर चस्पा किए गए। तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस जारी करने बाबत आदेश हुआ जो दिनांक 16.9.2003 को जारी किए गए जिनमें रामकुंवर, हनुमान, श्रीनारायण, श्रीमती सोनी के नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील होना बताया तथा जगदीश पुत्र श्री छीतर का नोटिस श्रीनारायण द्वारा प्राप्त करना बताया इसी कारण दिनांक 28.10.2003 को प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात दिनांक 16.3.2004 को वाद पत्र डिक्री फरमा दिया गया जिसकी कोई जानकारी प्रतिवादीगण/अपीलांटस को नहीं हुई। जब दिनांक 25.5.2021 को वर्तमान अपीलांटस के सिरी कैलाश पुत्र श्री मूलचंद जाति जाट जब खरारे करने गया तब वादीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा कहा गया कि श्री छीतर के आधे हिस्से की आराजीयात भी हमारे नाम दर्ज हो चुकी है इसलिए हम खराने नहीं करने देंगे और नहीं माना तो गंभीर परिणाम भुगतने पडेंगे। तत्पश्चात ग्राम दूदू जाकर अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 3.6.2021 को निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2004 की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 दिनांक 9.6.2021 को प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध दिनांक 28.10.2003 को एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 16.3.2004 को अपीलांटस के विरूद्ध आज्ञप्ति जारी कर दी एवं तथाकथित अपंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 12.8.2002 के आधार पर रेस्पोडेंटस के पूर्वज भूरा पुत्र श्री श्योनाथ को खातेदार घोषित कर दिया गया। जिसकी जानकारी अपीलांटस को दिनांक 25.5.2021 को होने पर दिनांक 3.6.2021 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 4.6.2021 को नकले प्राप्त कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विपक्षीगण द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 4.10.2022 को निरस्त फरमा दिया गया तत्पश्चात बाद बहस दिनांक 26.12.2022 को अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

संबंधी स्पष्ट विवेचन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), चूरू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंटस द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 मियाद बाहर होने से निरस्त फरमाने का कथन किया गया था जिसका विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वर्तमान अपीलांटस को दिनांक 25.5.2021 को निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2004 की प्रथम बार जानकारी हुई क्योंकि अपीलांटस/प्रतिवादीगण को कभी भी कोई नोटिस तामिल नहीं करवाए गए अर्थात नोटिस कूटरचित तामील बता दिए गए। उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 4.10.2022 को निरस्त फरमाया जा चुका था इसके बावजूद आदेश दिनांक 26.12.2022 में पुनः प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होना अंकित करते हुए आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिया गया जो प्रथम दृष्टया स्वयं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.10.2022 काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। कभी भी कोई तामील कुनिन्दा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पास नहीं आया ना ही कोई नोटिस तामील करवाया गया वरन समस्त नोटिसों पर कूटरचित हस्ताक्षर करवाए गए ना तो तामिल कुनिन्दा प्रतिवादीगण के घर पर आया ना ही कभी नोटिस तामील करवाया वरन दिनांक 9.9.2003 को जारी नोटिसों पर श्रीमानजी श्रीनारायण जाट निवासी गंगोतीकला घर पर मौजूद नहीं मिले हमारे सामने नारायण के खुले मकान आबाद पर जो कच्चा मकान एवं दक्षिण दिशा में खुल्ला है नोटिस की एक प्रति चस्पा की गई। इसी प्रकार समस्त नोटिसों पर यही इबारत लिखकर गवाह गणेशराम पुत्र सूरजकरण चौधरी एवं बालूराम पुत्र श्री रामकरण का नाम अंकित है लेकिन उनके हस्ताक्षर अंकित नही है तथा तामील कुनिन्दा रोशन अली के हस्ताक्षर है जबकि उक्त तामील कुनिन्दा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के घर पर कभी आया ही नहीं। तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय द्वारा नए नोटिस प्रस्तुती हेत आदेश फरमाया गया जिन पर रामकुंवार, सत्यनारायण के फर्जी/कूटरचित हस्ताक्षर एवं श्रीमती सोनी तथा श्री हनुमान के कूटरचित अंगूठा निशानी अंकित कर दिए गए एवं सत्यनारायण के बजाय अन्य किसी श्रीनारायण को नोटिस तामील करवा दिया गया तथा जगदीश पुत्र श्री छीतर का नोटिस भी उक्त श्रीनारायण जो अन्य व्यक्ति है, के हस्ताक्षर करवा कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए जिन्हें पूर्ण तामील मानकर परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध दिनांक 28.10.2003 को एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 16.3.2004 को अपीलांटस के विरूद्ध आज्ञप्ति जारी कर दी गई जिससे परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2004 आदेश 5 जा0दी0 एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्त योग्य थी। तथाकथित अपंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 12.8.2002 के आधार पर रेस्पोडेंटस के पूर्वज भूरा पुत्र श्री श्योनाथ को खातेदार घोषित कर दिया गया जबकि ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कोई भी आज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकती थी तथा छीतर के 1/2 हिस्से पर आजे दिनांक अपीलांटस

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

CamScanner

काबिज काश्त चले आ रहे है एवं सह खातेदार के विरूद्ध विपरीत कब्जे का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है जिससे परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आज्ञप्ति दिनांक 16.3.2004 प्रथम दृष्टया अवैधानिक होकर निरस्त थी। इसे नजरअंदाज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा मृतक श्रीमती सोनी के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया जो प्रथम दृष्टया शून्य होकर निरस्त योग्य है। छीतर पुत्र श्योनाथ को अपने सम्पूर्ण 1/2 हिस्से बाबत बख्शीशनामा निष्पादित करने का कोई क्षेत्राधिकार निहित नहीं था क्योंकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी आराजीयात होने से अपीलांटस का जन्म से ही हिस्सा निहित हो चुका था जिससे तथाकथित अपंजीकृत बख्शीशनामा जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा वसीयतनामा मान लिया गया प्रथम दृष्टया शून्य है एवं अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी भी प्रकार के काश्तकारी स्वत्व हस्तांतरित नहीं होते हैं, इस महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2004 तथा आदेश दिनांक 26.12.2022 पारित कर दिया गया जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– आर.बी.जे 2019 पेज 436(एस.सी), आर.बी.जे 2023 पेज 110(बोर्ड), आर.बी.जे 2004 पेज 623(एस.सी).

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटस ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि जहॉ तक अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क है कि उनके प्रोपर तामिल अधीनस्थ न्यायालय के नहीं हुयी थी, जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो अनुसार आदेश 05 नियम 1 व 5 की पालना में प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखने के लिए प्रतिवादीगण की तामील सुनिश्चित करवाने के लिए आदेश 05 नियम 1 व 05 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमतः तो विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन जारी किए गए, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण जब कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो पुनः तलबी नोटिस जारी होकर खुले मकान पर चस्पांदगी से किए गए जिस पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर/अंगूठा है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, ना ही उस बाबत् को काउन्टर शपथ पत्र या चस्पादंगी का खण्डन किया गया। छीतर के लड़के श्रीनारायण और सत्यनारायण एक ही है दोनो नामो की तामील हो चुकी है। सभी प्रावधानो का पालन करते हुए तामील की प्रक्रिया अपनायी जाकर तथा विधि द्वारा तामिल के स्थापित सभी प्रावधानो का उपयोग करते हुए तामील करवायी है। सम्मन की तामील निरस्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार तामीली बाबत् अभिभाषक अपीलांट तर्क सारहीन है। तत्पश्चात अभिभाषक ने आगे बहस में कथन किया कि विवादित कृषि भूमि कि जिसके खातेदार भूरा पुत्र श्योनाथ का 1/2 हिस्सा, एवं छीतर पुत्र गणेश का 1/2 हिस्सा, श्री छीतर के द्वारा दिनांक 12.8.2002 को ही उसके 1/2 हिस्सा की भूमि के संदर्भ में श्री भूरा पुत्र श्योनाथ के पक्ष में बख्शीशनामा कर दिया गया, इस प्रकार विवादित भूमि में अपीलार्थीगण के पिता श्री छीतर का कोई हक अधिकार अपीलाधीन भूमि में ही नहीं है एवं अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा भी नहीं है। श्री भूरा पुत्र श्योनाथ जाति जाट के द्वारा खसरा नम्बर 1185/16/03 रकबा 14–02–00 की भूमि जो कि ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पालूंकला तहसील मौजमाबाद की भूमि को जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2010 के अनुसार श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री रामेश्वर श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री सोनाराम, श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री जगदीश समस्त जाति जाट को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया। श्री भूरा पुत्र श्योनाथ के स्वर्गवास के पश्चात विरासत जो कि श्रीमती मीरा पत्नी श्री भूरा, गिर्राज पुत्र भूरा, कौशल्या, ममता ललिता पुत्रियां भूरा के नाम स्वीकृत किया गया, तदनुकुल अप्रार्थी संख्या 10 गिर्राज के पक्ष में श्रीमती मीरा, श्रीमती कौशल्या, श्रीमती ममता व श्रीमती ललिता के द्वारा पंजीबद्ध हक त्याग कर दिया गया, इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के अनुसार खसरा नम्बर 1185/16 रकबा 0.0351 हैक्टर, किस्म बारानी–2 ग्राम पालूकलां तहसील मौजमाबांद के अनुसार 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 10 गिर्राज, 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 15 श्रीमती लाली देवी पत्नी जगदीश एवं 1/3 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 14 सुशीला पत्नी सोनाराम के नाम दर्ज है, इस प्रकार विवादित भूमि कि जिस पर अप्रार्थी संख्या 10 गिर्राज ही काबिज है, इस प्रकार विवादित भूमि से छीतर के वारिसान अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार सरोकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2003 जो कि भूरा बनाम नारायण व अन्य कि जिसमें निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2004 की पूर्ण जानकारी थी एवं रही, जबकि निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2004 के विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा समक्ष न्यायालय के समक्ष चुनौति ही नहीं दी गई अपील ही नहीं कि गई बल्कि निर्णय व डिक्री दिनांक 16.3.2004 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 जो कि दिनांक 8.6.2021 को 17 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जो मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है तथा देरी के शमन के लिए अपने प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2022 को प्रकरण संख्या 07/2021 पर पारित निर्णय के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई जो कि उपरोक्त अभिकथन के अनुसरन मूल अपील ही निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित भूमि जिसके अप्रार्थी वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खातेदार दर्ज है, विधि के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया ।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंटस के पूर्वज भूरा पुत्र श्री श्योनाथ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष वाद संख्या 78/2003 दिनांक 22.7.2003 को उदघोषणा खातेदारी हेतु प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 28.10.2003 को प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तत्पश्चात दिनांक 16.3.2004 को वाद पत्र डिक्री कर दिया गया जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिनांक 9.6.2021 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2022 को खारिज कर दिया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उनको सम्मन तामील नहीं हुए तथा तामील कुनिन्दा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के पास नहीं आया ना ही कोई नोटिस तामील करवाया गया वरन समस्त नोटिसों पर कूटरचित हस्ताक्षर करवाए गए ना तो तामिल कुनिन्दा प्रतिवादीगण के घर पर आया ना ही कभी नोटिस तामील करवाया वरन दिनांक 9.9.2003 को जारी नोटिसों पर श्रीमानजी श्रीनारायण जाट निवासी गंगोतीकला घर पर मौजूद नहीं मिले हमारे सामने नारायण के खुले मकान आबाद पर जो कच्चा मकान एवं दक्षिण दिशा में खुल्ला है नोटिस की एक प्रति चस्पा की गई। इसी प्रकार समस्त नोटिसों पर यही इबारत लिखकर गवाह गणेशराम पुत्र सूरजकरण चौधरी एवं बालूराम पुत्र श्री रामकरण का नाम अंकित है लेकिन उनके हस्ताक्षर अंकित नही है तथा तामील कुनिन्दा रोशन अली के हस्ताक्षर है जबकि उक्त तामील कुनिन्दा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के घर पर कभी आया ही नहीं। तत्पश्चात परीक्षण न्यायालय द्वारा नए नोटिस प्रस्तुती हेत आदेश फरमाया गया जिन पर रामकुंवार, सत्यनारायण के फर्जी/कूटरचित हस्ताक्षर एवं श्रीमती सोनी तथा श्री हनुमान के कूटरचित अंगूठा निशानी अंकित कर दिए गए एवं सत्यनारायण के बजाय अन्य किसी श्रीनारायण को नोटिस तामील करवा दिया गया तथा जगदीश पुत्र श्री छीतर का नोटिस भी उक्त श्रीनारायण जो अन्य व्यक्ति है, के हस्ताक्षर करवा कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए जिन्हें पूर्ण तामील मानकर परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध दिनांक 28.10.2003 को एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 16.3.2004 को अपीलांटस के विरूद्ध आज्ञप्ति जारी कर दी गई, जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो अनुसार आदेश 05 नियम 1 व 5 की पालना में प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखने के लिए प्रतिवादीगण की तामील सुनिश्चित करवाने के लिए आदेश 05 नियम 1 व 05 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमतः तो विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन जारी किए गए, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण जब कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तथा पुनः तलबी नोटिस जारी होकर खुले मकान पर चस्पांदगी से किए गए जिस पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर/अंगूठा है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, ना ही उस बाबत् को काउन्टर शपथ–पत्र या चस्पादंगी का खण्डन किया गया। सभी प्रावधानो का पालन करते हुए तामील की प्रक्रिया अपनायी जाकर तथा विधि द्वारा तामिल के स्थापित सभी प्रावधानो का उपयोग करते हुए तामील करवायी है। सम्मन की तामील निरस्त नहीं की जा सकती है। इस प्रकार तामीली बाबत् अभिभाषक अपीलांट तर्क सारहीन है तथा प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा.दी. का सीमित दायरा है जिसमें सिर्फ यही देखा जाता है कि पक्षकारान के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित की गई है या नहीं। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 05 के तहत् सम्मन सम्यक रूप से तामिल करवाया गया तथा प्रार्थी/अपीलांट स्वयं जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित की है, उसे एक पक्षीय निर्णय व डिक्री की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता तथा ना ही उसे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत् पल्टा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नहीं जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज की जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner